न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, ब्यावर,
जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 43/2022 सी.आई.एस. नं. 43/2019

पारसमल बनाम प्रकाशचंद व अन्य

दिनांक 22.05.2025

वकुलाय फरिकेन उपस्थित।

इस आदेश द्वारा अधिवक्ता वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांकित 24.03.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाद में प्रतिवादीगण ने अपने–अपने प्रतिवाद पत्रों में दिनांक 08.08.1991 व दिनांक 24.10.1994 के कथित वसीयतनामों के आधार पर अपनी प्रतिरक्षाएं प्रस्तुत की है, जिससे वादी ने प्रस्तुत किए गए अपने जवाबुलजवाबों में स्पष्टतया इनकारी की है। चूंकि प्रतिवादीगण ने कथित दोनों ही वसीयतनामों के संबंध में अपने–अपने प्रतिवाद पत्रों में सकारात्मक कथन अंकित किए हैं। अतः इसी अनुरूप विवाद्यक विरचित किया जाना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में उचित, विधिक व आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विरचित किया गया विवाद्यक सं. 1 विलोपित किया जाना व उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन विवाद्यक सं. 1 विरचित किया जाना उचित, विधिक व आवश्यक हैः–

''आया श्री पुखराज बोहरा ने दिनांक 08.08.1991 का व श्रीमती कुसुम कंवर ने दिनांक 24.10.1994 का वसीयतनामा निष्पादित किया, जो दोनों पूर्णतया वैध व प्रभावी है?''

अतः न्यायहित में एवं न्यायिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विरचित किए गए विवाद्यक सं. 1 को विलोपित किया जावे एवं उसके स्थान पर इस प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार विवाद्यक सं. 1 विरचित किए

जाने बाबत निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दरखास्त का लिखित में कोई जवाब न देकर मौखिक रूप से विरोध किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया, जिसमें स्वयं वादी द्वारा हस्ताक्षरित इकरारनामे की ओर भी ध्यान आकृष्ट करवाया, जिसमें वसीयत के संदर्भ में उल्लेख होना बताया और अभिकथन किया है कि वादी विवाद्यक में संशोधन के माध्यम से सबूत का भार प्रतिवादी पर लाना चाहता है। जबकि प्राथमिक रूप से वाद को साबित करने का भार वादी पर है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

मेरे द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। वादी द्वारा यह वाद बंटवारा, घोषणा व निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विवाद्यक सं. 1 के तहत उल्लेखित की गई वसीयतों को अवैध व कूटरचित घोषित करने के लिए भी अनुतोष चाहा है।

धारा 101 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

धारा 102 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी वाद या कायर्वाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाए।

चूंकि वादी का यह अभिकथन है कि उक्त दस्तावेजात वसीयतनामा कूटरचित व फर्जी है
व प्रतिवादी का कहना है कि वसीयतनामा पूर्णतया वैध व प्रभावी है। अतः विवादित दस्तावेज वसीयत के होने का तथ्य दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य पाया

जाता है एवं पत्रावली में विरचित किए गए विवाद्यक सं. 1 में संबंधित लिपिक को लाल स्याही से निम्नानुसार अतिरिक्त कथन अंकित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

<u>पूर्व विरचित विवाद्यक</u>

''1. आया दिनांक 08.08.1991 को पुखराज बोहरा द्वारा निष्पादित वसीयत व दिनांक 24.10.1994 को श्रीमती कुसुम कंवर बोहरा द्वारा निष्पादित वसीयत अवैध व कूटरचित है?

––वादी''

<u>संशोधन के पश्चात् विवाद्यक</u>

''1. आया दिनांक 08.08.1991 को पुखराज बोहरा द्वारा निष्पादित वसीयत व दिनांक 24.10.1994 को श्रीमती कुसुम कंवर बोहरा द्वारा निष्पादित वसीयत अवैध व कूटरचित है/**वैध व प्रभावी है?**

––वादी/**प्रतिवादी**''

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 06.08.2025 को पेश हो।